संख्या-4/2020/1689/33-1-2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी
उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-1 **लखनऊः** **दिनांकः 29 जुलाई, 2020**

विषयः- मा0 उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या-9967/2020 सुशील बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश में 1,01,688 सफाई कर्मी जनपदों के विभिन्न राजस्व ग्रामों में तैनात है। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित जनहित याचिका संख्या-9967/2020 सुशील बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-07-2020 के अनुक्रम में प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्राम में तैनात/कार्यरत सफाई कर्मी के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगीः-

(1) निदेशक, पंचायतीराज सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की उनके राजस्व ग्रामों में तैनाती एवं उपस्थिति के अनुश्रवण के लिए व्यवस्था बनाये, जिसमें प्रत्येक माह के अंत में उनके द्वारा माह में किये गये कार्य की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाय।

(2) समस्त जिलों में तैनात सफाई कर्मियों का नाम एवं उनके तैनाती का स्थान पंचायतीराज विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तथा इसे अद्यावधिक रखने की व्यवस्था बनायेगे। निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 इसका माह के अंत में अनुश्रवण कर रिपोर्ट देगे। इससे यह सूचना **Public Domain** में रहे तथा पारदर्शिता बनी रहे है।

(3) सफाई कर्मचारी द्वारा अपने तैनाती के ग्राम में स्वच्छता व सेनीटाईजेशन का कार्य करे, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी की होगी।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या व दिनांक- तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

2- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।

3- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।